

प्रेस

नोट

जनपद

रामपुर ।

दिनांक:.08.11.2022

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram@rampurpolice

थाना गंज:-600 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 08-11-2022 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा शाकिर पुत्र बिट्टन खां निवासी पहाडी गेट थाना गंज, रामपुर को बिलासपुर रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 600 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना गंज पर मु0अ0सं0-336/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली थाना गंज पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्रीमती पूजा यादव,

2-का0 1679 राजेश कुमार,

3-का0 1932 कपिल कुमार।

थाना भोट:- गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 08-11-2022 को थाना भोट, रामपुर पुलिस द्वारा बाबू शाह पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम किसरौल थाना भोट, रामपुर को सनकरा चौराहा मजार के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-174/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त बाबू शाह का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-95/2022 धारा 307 भादवि थाना भोट, रामपुर।

2-मु0अ0सं0-174/06 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना भोट, रामपुर।

3-मु0अ0सं0-102/2022 धारा 10 जी.एक्ट थाना भोट, रामपुर।

4-मु0अ0सं0-101/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोट, रामपुर।

5-मु0अ0सं0-97/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना भोट, रामपुर।

6-मु0अ0सं0-56/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना केमरी, रामपुर।

7-मु0अ0सं0-58/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना केमरी, रामपुर।

8-मु0अ0सं0-131/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना केमरी, रामपुर।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोट पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री हरेन्द्र कुमार,

2-का0 1208 सौरभ कुमार,

3-का0 371 कौशल कुमार,

4-चा0 है0का0 नफीस।

थाना बिलासपुर:- एक अद्द नाजायज तमंचा व एक चाकू के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 08-11-2022 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा कस्बा राजपुर जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया के पास से रवि राठौर पुत्र श्यामलाल निवासी मौ० साहूकारा रजा चौक कस्बा व थाना बिलासपुर, रामपुर को एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ तथा यश राठौर पुत्र राकेश राठौर निवासी मौ० साहूकारा रजा चौक कस्बा व थाना बिलासपुर, रामपुर को एक अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु०अ०सं०-475/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रवि राठौर तथा मु०अ०सं०-476/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम यश राठौर पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 08-11-2022 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त मुंशी अली पुत्र मौ० बक्श निवासी ग्राम नानकार थाना गंज, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।